न्यायालयः–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०–१२ आजमगढ़।

प्रार्थनापत्र संख्या–११८९०/१९

धर्मराज चौहान बनाम अजय चौहान आदि।

थाना जहानागंज, जनपद–आजमगढ़।

दिनांक–३०.०५.२०१९

निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–१५६(३) दं०प्र०सं०

प्रार्थी धर्मराज चौहान की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अ०धारा–१५६(३) दं०प्र०सं० पर सुना जा चुका है। पत्रावली आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रार्थी का कथन है कि, दिनांक–१५.०४.२०१८ को विपक्षी अजय चौहान प्रार्थी के हैण्डपाईप में बिजली का अर्थिंग लगा देने के कारण विद्युत प्रवाहित हो रही थी। प्रार्थी की पत्नी उनसे मना की तो वह नही माना। उसी दिन समय लगभग १२.०० बजे दिन में प्रार्थी का लड़का मनीष चौहान कही से आकर पानी लेने के लिए हैण्डपाईप चलाने गया तो उसमें प्रवाहित हो रही बिजली की चपेट में आ गया और विद्युत आघात से उसकी मृत्यु मौके पर ही हो गयी, मृत्यु होते अजय की माँ उक्त घटना को देख रही थी, जिसकी सूचना उसने अजय चौहान को दी, अजय चौहान द्वारा तथ्य छिपाने के लिए गांव के रामबचन, घुरभारी तथा पंकज एक राय होकर प्रार्थी के लड़के को सर्प काट लेने के कारण मृत्यु की अफवाह फैलाकर तथा बड़े लड़के आशीष चौहान को जो उस समय ननिहाल में था, तुरन्त गाड़ी पर धोखे से बैठाकर घर लाये और रास्ते भर धमकी दिये कि दाह–संस्कार कर दो नही तो तुम्हे भी जान से मार देंगे तथा उसकी मोबाईल छीन कर रख लिये, ताकि वह किसी को सूचित न कर सके। बिना प्रार्थी व पुलिस वालों को सूचना दिये आनन–फानन में समय करीब १२.३० बजे दिन में में दाह संस्कार के लिए गाजीपुर लेकर चले गये। यहाँ तक की प्रार्थी के घर से १० कि०मी० की दूरी पर मृतक के नाना भरत चौहान को सूचित नही किया गया। उक्त लोग प्रार्थी के लड़के को गाजीपुर गंगा में प्रवाहित कर दाह–संस्कार कर दिये। स्वर्गवास घाट पर मृतक का दिनांक भी गलत दर्ज कराये तथा उसकी पत्नी व लड़की को धमकी दिये कि पुलिस को शिकायत करोगे तो अंजाम बुरा होगा। प्रार्थी दिनांक–१८.०४.१८ को घर आया तो लोगों से घटना की जानकारी चाहा और दाह–संस्कार की रसीद प्राप्त करना चाहा तो उक्त लोग प्रार्थी पर शांत रहने के लिए दबाव बनाये तथा जान से मारने की धमकी दिये।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र दाखिल किया गया है।

प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व थानाध्यक्ष जहानागंज को भेजे गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, डाक रजिस्ट्री रसीद की मूलप्रति तथा जनता स्वर्गवास घाट रजागंज (थाना कोतवाली) गाजीपुर मृतक मनीष चौहान के दाह–संस्कार रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

थाने की आख्या आहूत की गयी, जो शामिल पत्रावली है।

थाने की आख्या के अनुसार घटना के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग कायम न होने का उल्लेख है।

पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक को घटना की पूरी जानकारी है। विपक्षीगण आवेदक के गांव का ही रहने वाले है। इस प्रकार आवेदक न्यायालय में अभियेाजन सफलतापूर्वक चला सकता है। अतः आवेदन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयज विधि सुखवासी बनाम उ०प्र० सरकार २००८ Cr.Lj, 472 रामबाबू गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य 2001 (43)ACC50 आलोक में परिवाद दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थी धर्मराज चौहान की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अं०धारा–१५६(३)दं०प्र०सं० परिवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। परिवाद के रूप में दर्ज हो। वास्ते बयान परिवादी पत्रावली दिनांक–०४.०७.२०१९ को पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं०–१२ आजमगढ़।